



## इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1907 सन् 2026

राम प्रकाश

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : भीम सेन पाण्डेय, कार्तिकेय पाण्डेय  
उत्तरदातागण के अधिवक्ता : आजाद राय, सी.एस.सी.

### न्यायालय संख्या - 33

#### माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भीम सेन पाण्डेय और राज्य-उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव के साथ-साथ उत्तरदाता-गांव सभा के अधिवक्ता श्री आजाद राय को सुना।
2. इस न्यायालय ने 10.02.2026 को विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता को निर्देश प्राप्त करने का निर्देश देते हुए इस याचिका पर विचार किया और उसके बाद मामले को आज के लिए निर्धारित किया गया। विद्वान अतिरिक्त मुख्य विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो प्रस्तुत करते हैं कि वह निर्देशों से अच्छी तरह सुसज्जित हैं और रिट याचिका के निस्तारण के लिए निर्देश स्वयं में पर्याप्त हैं और वह आगे कोई शपथपत्र दायर करने का प्रस्ताव नहीं करते हैं और याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। इस प्रकार पक्षों की सहमति से, रिट याचिका पर नए चरण में निर्णय लिया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 06.10.2021 को पंचायत सहायक/अकाउंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर (खाता-सह-विवरण प्रविष्टि प्रचालक) के रूप में नियुक्त किया गया था, यद्यपि, कुछ

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आरोपों के कारण, स्पष्टीकरण मांगते हुए 20.01.2025 को रिट याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत सचिव ने भी 22.01.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया। रिट याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने 27.01.2025 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत सचिव ने दिनांक 31.01.2025 को एक और नोटिस जारी कर छह बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा और रिट याचिकाकर्ता ने 06.02.2025 को अपना उत्तर/स्पष्टीकरण दिया, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा 24.02.2025 को एक और नोटिस जारी किया गया और उसके बाद 18.03.2025 को रिट याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने का प्रस्ताव रखते हुए प्रशासनिक समिति द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया। रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 दाखिल करते हुए इस पर सवाल उठाया, जिसका निस्तारण 06.05.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए किया गया:

"1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बीएस पाण्डेय, संबंधित ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय और विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।

2. संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने याचिकाकर्ता को पंचायत सहायक के पद से हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.03.2025 को अपनाए गए प्रस्ताव पर सवाल उठाया है।

3. ग्राम पंचायत के विद्वान अधिवक्ता श्री आजाद राय ने प्रस्तुत किया कि आज तक खंड विकास अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गई है और यदि याचिकाकर्ता को कोई शिकायत है तो वह अपना बचाव करने के लिए खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

4. दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में, मैं याचिकाकर्ता को इस निर्देश के साथ इस याचिका का निस्तारण करता हूं कि वह आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करके संबंधित खंड विकास अधिकारी से संपर्क करे, यदि ऐसा कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो अनुमोदन के प्रयोजनों के लिए ग्राम पंचायत के प्रस्ताव पर विचार करते हुए खंड विकास अधिकारी द्वारा उसका निस्तारण किया जाएगा।

4. इसके बाद रिट याचिकाकर्ता ने 22.05.2025 और 27.05.2025 को खंड विकास अधिकारी के समक्ष रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ मामले को प्रस्तुत किया और उसके बाद 05.07.2025 को ग्राम पंचायत ने रिट याचिकाकर्ता को राशि जमा करने की आवश्यकता पर नोटिस जारी किया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, यद्यपि रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जा सकता था, विशेष रूप से, जब कोरम पूरा नहीं हुआ था और आगे 06.05.2025 को रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 में जारी किए गए निर्देश के अनुसरण में, खंड विकास अधिकारी को रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब कहा गया है कि दूसरे



उत्तरदाता जिला अधिकारी, फतेहपुर द्वारा 14.01.2026 को एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, कि ग्राम पंचायत-बहता, ब्लॉक खजुहा तहसील बिंदकी, जिला-फतेहपुर के लिए पंचायत सहायक/खाता-सह-विवरण प्रविष्टि प्रचालक के लिए चयन करने के लिए कहा गया है।

5. उसी पर सवाल उठाते हुए, रिट याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका दायर की गई है।

6. इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित करते हुए 10.02.2026 को रिट याचिका पर विचार किया:

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता को पंचायत सहायक/खाता-सह-विवरण प्रविष्टि प्रचालक के पद से हटा दिया गया है और चूंकि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, कोरम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 को दायर किया। जिसमें 06.05.2025 (पेपरबुक का पृष्ठ 51) को खंड विकास अधिकारी को दावे पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था। यद्यपि, आज तक उक्त दावे पर निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन अब विचाराधीन पद का विज्ञापन दिया गया है।

श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री आजाद राय, उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा।

अतिरिक्त वाद सूची में 16.02.2026 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाता है।"

7. इसके बाद 24.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किए गए:

"1. आज दायर किए गए निर्देशों को परिशिष्ट 'क' के रूप में अभिलेख पर लिया जाता है।

2. इस न्यायालय ने 10.02.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए कार्यवाही की: -

"रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क यह है कि रिट याचिकाकर्ता को पंचायत सहायक/खाता-सह-विवरण प्रविष्टि प्रचालक के पद से हटा दिया गया है और चूंकि ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव में रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, कोरम पूरा नहीं हुआ था, इसलिए रिट याचिकाकर्ता ने रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 को दायर किया। जिसमें 06.05.2025 (पेपरबुक का पृष्ठ 51) को खंड विकास अधिकारी को दावे पर निर्णय लेने का निर्देश जारी किया गया था। यद्यपि, आज तक उक्त दावे पर निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन अब विचाराधीन पद का विज्ञापन दिया गया है।



श्री राहुल मालवीय, विद्वान स्थायी अधिवक्ता और श्री आजाद राय, उत्तरदातागण के अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त करने के लिए समय मांगा। अतिरिक्त वाद सूची में 16.02.2026 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाता है।"

3. आज जब इस मामले पर विचार किया गया है, तो खंड विकास अधिकारी, विकास खंड खजुहा, फतेहपुर के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 20.02.2026 के निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जो 10.02.2026 को इस न्यायालय द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं।

4. इस मामले को परसों अर्थात् 26.02.2026 को दोपहर 02.00 बजे रखें।

5. यदि निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं तो जिला अधिकारी फतेहपुर, जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर और खंड विकास अधिकारी खंड खजुहा जिला फतेहपुर उपस्थित रहेंगे।"

8. आदेश पारित होने के बाद, आज दिनांक 20.02.2026 और 25.02.2026 के निर्देश अग्रेषित किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया गया है और परिशिष्ट ए के रूप में चिह्नित किया गया है।

9. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 06.05.2025 को रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 में पारित आदेश में किए गए निर्णय का अनुपालन नहीं किया गया है, जिसके द्वारा खंड विकास अधिकारी उस अभ्यावेदन को तय करने के लिए बाध्य था जिसे रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि खंड विकास अधिकारी, खजुहा, फतेहपुर के हस्ताक्षर के अधीन दिनांक 25.02.2026 के निर्देशों के साथ, पेपर-बुक के पृष्ठ-3 पर खंड विकास अधिकारी द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पारित एक आदेश है, जिसमें अभ्यावेदन पर निर्णय लिया गया है, लेकिन रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अभ्यावेदन का निर्णय रिट ए संख्या 1907 सन् 2026 में पारित आदेश के आलाक में किया गया है और इसका रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 से कोई संबंध नहीं है जिसका 06.05.2025 को निर्णय किया गया। इस प्रकार, वह प्रस्तुत करते हैं कि रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 में पारित आदेशों का कोई अनुपालन नहीं हुआ है, जिसके द्वारा उत्तरदाताओं को अभ्यावेदन का निर्णय करना था और रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, केवल अभ्यावेदन में निर्णय के बाद, उत्तरदाताओं के लिए यह निर्णय लेने के लिए खुला था कि निज्ञापन दिया जाए या नहीं, यह निर्णय रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर अन्तिम निर्णय और परिणाम/नतीजा पर निर्भर था।

10. श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता और उत्तरदाता-गांव सभा के अधिवक्ता श्री आजाद राय ने दूसरी तरफ प्रस्तुत किया कि यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि रिट-ए संख्या 6040 सन् 2025 दिनांक 06.05.2025 में रिट याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए एक निर्देश है, जो रिट याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत के दिनांक 18.03.2025 के प्रस्ताव के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ता द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, लेकिन अनजाने में और पहलू को नजरअंदाज करते हुए, अभ्यावेदन का निर्णय रिट-ए संख्या 1907 सन् 2026 में



पारित आदेश के आलोक में किया गया, वे प्रस्तुत करते हैं कि एक नया आदेश पारित किया जाएगा और वर्तमान आदेश रास्ते में नहीं आएगा।

11. इस तरह की दलील पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है और वह इसे शालीनता से स्वीकार करते हैं।

12. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख का ध्यान से अवलोकन किया

13. इस तरह से की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को ध्यान में रखते हुए और संबंधित पक्षों के पहलू के साथ-साथ उनके द्वारा लिए गए रुख को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का **निस्तारण** किया जा रहा है, जिसमें खंड विकास अधिकारी को आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अभ्यावेदन पर निर्णय लेने और विधि के अनुसार सख्ती से एक नया आदेश पारित करने की आवश्यकता है।

दिनांक 25.02.2026 का आदेश उस संबंध में नए आदेश पारित करते समय आड़े नहीं आएगा।

**मार्च 10, 2026**

आशु

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)